रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2000/चैत्र 22, 1922
No. 210] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2000/CHAITRA 22, 1922

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, 5 फरवरी, 2000

सा. का. नि. 327(अ).—भारत सरकार द्वारा भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 21) की धारा 9 के अधीन विरचित भोपाल गैस विभीषिका (दावा रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही) स्कीम 1985 के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, एतद्द्वारा, अधिनियम और स्कीम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किए गए अपर आयुक्तों/उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त प्रक्रिया में, पैरा 12 के उप-पैरा (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दो) तथापि यदि मामला दावेदार की अनुपस्थिति में निरस्त अथवा अस्वीकार किया गया है और यदि दावेदार उक्त आदेश की तारीख से या यदि मामला 1 मार्च, 2000 के पूर्व निरस्त या अस्वीकार किया जाता है तो 1 मार्च, 2000 से तीस दिन की कालावधि के भीतर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर यह समाधान कर देता है कि अंतिम सुनवाई के लिए नियत तारीख को उसकी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था, तो अधिकरण, मामले को पुनः चालू कर सकेगा और सुनवाई और साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् दावे का विनिश्चय कर सकेगा :

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि दावेदार, पर्याप्त कारण से, तीस दिन की उक्त कालावधि के भीतर अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने से निवारित था तो अधिकरण, तीस दिन की और कालावधि के भीतर किन्तु उसके पश्चात् नहीं, मामले को पुनः चालू कर सकेगा और विधि के अनुसार दावे का विनिश्चय कर सकेगा।"

2. यह संशोधन 1 मार्च, 2000 से प्रवृत्त होगा।

माननीय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल के आदेशानुसार,

आर. के. बेहार, रजिस्ट्रार

[फा. सं. 1458-डब्ल्यु सी-जूडिल-2000]

शरद गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

OFFICE OF THE WELFARE COMMISSIONER

BHOPAL GAS VICTIMS, BHOPAL

NOTIFICATION

Bhopal, the 5th February, 2000

G. S. R. 327 (E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 8 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Scheme, 1985, framed by the Government of India under Section 9 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (No. 21 of 1985), the Commissioner, hereby makes the following amendment in the procedure to be followed by the Additional Commissioners/Deputy Commissioners and other Officers and Employees appointed to discharge the functions under the Act and the Scheme, namely :—

AMENDMENT

In the said procedure, for sub-para (ii) of para 12, the following sub-para shall be substituted namely :—

"(ii) However, if the case is dismissed or rejected in the absence of claimant and if within the period of thirty days, from the date of the said order or if the case is dismissed or rejected before 1st March, 2000, from 1st March, 2000, the claimant appears and files an application and satisfies that there was sufficient cause for his non-appearance on the date fixed for final hearing, the Tribunal may reopen the case and after giving an opportunity of hearing and to produce evidence, may decide the claim :

Provided that if the Tribunal is satisfied that the claimant was prevented by sufficient cause from his appearance before the Tribunal within the said period of thirty days, the Tribunal may, within a further period of thirty days but not thereafter, reopen the case for hearing and decide the claim according to law."

2. This amendment shall come into force with effect from 1st March, 2000.

As per the Orders of Honourable Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal.

R. K. BEHAR, Registrar

[File No. 1458-WC-Judl-2000]

SHARAD GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.